

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024 श्रावण 30, 1946 शक सम्वत्

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1666 / वि०स० / संसदीय / 50(सं)-2024 लखनऊ, 29 जुलाई, 2024

> अधिसूचना **प्रकीर्ण**

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, <sub>संक्षिप्त नाम और</sub> 2024 कहा जायेगा। प्रारम्भ
  - (2) यह दिनांक ४ जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 42 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और क्रम-संख्या 42 के पश्चात नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढा दी जायेगी, अर्थात :-

क्रम- संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
43	जी० एस० विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश	श्री जयपाल सिंह शर्मा, ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
44	एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, "जी०एस० विश्वविद्यालय, हाप्ड्" उत्तर प्रदेश या एच०आर०आई०टी० विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश

अध्यादेश

सन् 2024,

11 सन् 2024

निरसन और व्यावृत्ति

- 4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

#### उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतू उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

दो नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् (एक) जी० एस० विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश; तथा (दो) एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2024) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय मंत्री, उच्च शिक्षा।

\_\_\_\_

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

\_\_\_\_\_

UTTAR PRADESH SARKAR Sansadiya Karya Anubhag-1

No. 371/XC-S-1–24-21 S-2024 Dated Lucknow, August 21, 2024

#### **NOTIFICATION**

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya(Chaturth Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 29, 2024.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FOURTH AMENDMENT)
BILL, 2024

Α

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2024.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the July 4, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019 2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 42, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 42 for the newly established Universities the following serial number shall be *inserted* namely:—

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
43.	G.S. University, Hapur,	Sri Jaipal Singh Sharma Trust, Ghaziabad,
	Uttar Pradesh	Uttar Pradesh
44.	HRIT University,	Harish Chandra Ram Kali Charitable
	Ghaziabad, Uttar Pradesh	Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "G.S. University, Hapur" Uttar Pradesh or the HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2024 and the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 are hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 10 of 2024, 11 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of two new Private Universities, namely :-(i) G.S. University, Hapur, Uttar Pradesh; and (ii) HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 10 of 2024) and the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 11 of 2024) were promulgated by the Governor on July 4, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uchha Shiksha.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.